



मु.प. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश शासन
M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL
Government of Madhya Pradesh

五

1437
कंगाल...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल/अक्ट-1/2023-24 //आदेश//

दिनांक 15/6/23

क्रमांक...../ म.प्र.ना.ब.व.प.जापा.रा.स.व. //आदेश//
 नग्या प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 183 वीं समा वी वैठक दिनांक 30/05/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय, इन्दौर (मप्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की अनुमति दिन शतों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

अनुमति निम्न शर्तों के अध्यादीन प्रदान की जाती है।				
क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अध्यादेश क्र.	प्रस्तावित सीट संख्या	स्वीकृत सीट संख्या
1.	Master of Business Administration (Marketing)	26	120	60
2.	Bachelor of Business Administration (Digital Media and Marketing)	28	180	60
3.	Bachelor of Commerce	27	180	60

३८६

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के माध्यम से इनका विनियोग की अनुमति प्रदान की जाती है।
 - से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
 - उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
 - उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायें।
 - उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
 - विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, भ.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
 - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण करना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यत करना होगा।
 - व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ब्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रोकेंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
 - यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का लिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संचालित करना होगा।
 - पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की त्वचनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

(ना अच्युत महो द्वारा अनुमोदित)

- Phani 1516123
(डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव)

संपर्क जापान-ए
मंत्रीनियंवियंवियंआयोग, भोपाल
दिनांक / 06 / 2023

प्रकाशित / म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,मोपाल / अका-1 / 2023-24

ਪੰਜਾਬ

- निज सहायक के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.दि.आयोग, भोपाल।
 - युलसियर, सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय, इन्डॉर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 - प्रभारी आईटी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.दि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
 - प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.दि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
 - प्रभारी शुल्क नियतन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.दि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
 - मूल नस्ती।

सदस्य अकादमिक
महाप्र०निधि०विधि०विधि०आयोग, भोपाल